प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

2022 का डब्ल्यू. ए. नंबर 292

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ (याचिकाकर्ता संख्या 1 विद्वान राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं था, लेकिन इस याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 के रूप में संयोजित किया गया है क्योंकि संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को संयोजित करने का उचित तरीका है)

2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़

3. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

आनंद मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री जयप्रकाश मिश्रा प्रतापगंज वार्ड, जगदलपुर, जिलाःबस्तर छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादीगण

2022 का डब्ल्यू. ए. नंबर 293

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3. संयुक्त सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

बनाम

आनंद मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री जयप्रकाश मिश्रा आयु लगभग 40 वर्ष प्रतापगंज वार्ड, जगदलपुर, जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़, जिला बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---- उत्तरदाता

2022 का डब्ल्यू. ए. सं. 294

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ (याचिकाकर्ता संख्या 1 विद्वान राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं था, लेकिन इस याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 के रूप में संयोजित किया गया है क्योंकि संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को संयोजित करने का उचित तरीका है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, रायपुर (सी. जी.)

3. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर (सी. जी.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

अनूप तिवारी पुत्र श्री एस. एस. तिवारी, बालाजी वार्ड, जगदलपुर, जिलाःबस्तर (छत्तीसगढ़)

---- उत्तरवादीगण

2022 का डब्ल्यू. ए. नंबर 295

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, नया रायपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती. मीनू मिश्रा पति श्री आनंद मिश्रा आयु लगभग 35 वर्ष निवासी प्रतापगंज वार्ड जगदलपुर जिला जगदलपुर छत्तीसगढ़

---- उत्तरदाता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2022 का डब्ल्यू. ए. नंबर 296

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ (याचिकाकर्ता संख्या 1 विद्वान राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं था, लेकिन इस याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 के रूप में संयोजित किया गया है क्योंकि संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को संयोजित करने का उचित तरीका है)

2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, रायपुर (सी. जी.)

3. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर (सी. जी.)

----याचिकाकर्ता

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

बनाम

संदीप मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री जयप्रकाश मिश्रा पुत्र प्रतापगंज वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादीगण

2022 का डब्ल्यू. ए. नंबर 297

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला–रायपुर
2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----याचिकाकर्ता

बनाम

संदीप मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री जयप्रकाश मिश्रा आयु लगभग 38 वर्ष प्रतापगंज वार्ड जगदलपुर, जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़, जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---- उत्तरदाता

2022 का डब्ल्यू. ए. नंबर 298

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, नया रायपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

----याचिकाकर्ता

बनाम

आनंद मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री जयप्रकाश मिश्रा आयु लगभग 40 वर्ष प्रतापगंज वार्ड जगदलपुर, जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़, जिला बस्तर (जगदलपुर) छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2022 का डब्ल्यू. ए. नंबर 309

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ (याचिकाकर्ता संख्या 1 विद्वान राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं था, लेकिन इस याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 के रूप में संयोजित किया गया है क्योंकि संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को संयोजित करने का उचित तरीका है)

2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़

3. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़

----याचिकाकर्ता

बनाम

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

आनंद मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री जयप्रकाश मिश्रा निवासी प्रतापगंज वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरदाता

अपीलार्थियों/राज्य के लिए : श्री राघवेंद्र प्रधान, अतिरिक्त महाधिवक्ता

संबंधित उत्तरदाता के लिए : श्री अजय श्रीवास्तव, श्री बी. एल. डेम्ब्रा और श्री शिवेश सिंह, अधिवक्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डीबी.: माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी और

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी

गौतम भादुड़ी, न्यायमूर्ति द्वारा बोर्ड पर निर्णय

11/7/2022

1. सुना गया।

2. आलोच्य अपीलों का यह समूह डब्ल्यू. पी. सी. No.1800/2022 में और अन्य संबंधित याचिकाओं के संबंध में 5.5.2022 को विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित सामान्य आदेश विरूद्ध है, जिसके तहत, राज्य प्राधिकरण और निजी उत्तरदाताओं/ट्रांसपोर्टरों द्वारा राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. टी. ए. टी.), जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम, 1988") की धारा 89 (2) के तहत गठित की गई हैं, के आदेश के खिलाफ दायर याचिकओं, को विशिष्ट निर्देशों के साथ खारिज कर दिया गया था।

3. इन रिट अपीलों में मुद्दा समान है, इसलिए, उन पर एक साथ निर्णय लिया जा रहा है।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

4. विवाद का केंद्र एक आवेदन से शुरू होता है, जिसे सितंबर 2017 के महीने में स्टेज कैरिज परमिट देने के लिए ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर किया गया था। आर. टी. ए. का दिनांक 19.12.2019 का आदेश यह दर्शाता है कि परमिट देने के लिए आवेदन दायर किए जाने के बाद, यह छत्तीसगढ़ मोटरवाहन नियम 1994 (संक्षेप में "नियम, 1994") के अनुसार निपटान नहीं किया जा सका। नियम, 1994 के नियम 74 के उप–नियम (4) के अनुसार, स्टेज कैरिज परमिट देने के लिए आवेदन के निपटारे के लिए निर्धारित समय सीमा 60 दिन है। नियम, 1994 को अधिनियम, 1988 की धारा 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 159, 176, 211 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रख्यापित किया गया था। चूँकि स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए यहाँ प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 22.08.2019 के आदेश के माध्यम से स्टेज कैरिज परमिट के लिए दायर आवेदन का उक्त आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर निपटान करने का निर्देश दिया। इसके बाद, आर. टी. ए. द्वारा 19.12.2019 दिनांकित आदेश पारित किया गया, जिसमें यह निर्देश जारी किया गया था कि इस आदेश के सूचना के बाद, 30 दिनों की अवधि के भीतर, ट्रांसपोर्टर परमिट प्राप्त करेंगे और वाहनों का परिचालन शुरू करेंगे। विद्वान एकलपीठ और एस. टी. ए. टी. के समक्ष प्रत्यर्थियों/परिवहनकर्ताओं का मामला यह था कि इस आदेश को उन्हें सूचित नहीं किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से विदित होता है कि यह मुद्दा कि परमिट देने का आदेश दिनांक 19.12.2019 को ट्रांसपोर्टरों को सूचित नहीं किया गया था, बहुत अधिक विवाद में नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

5. नियम, 1994 के नियम 74 के उप–नियम (3) में प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार हैः

"74. परमिट आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया और उसके निपटारे का तरीका –

(1) XXX

(2) XXX

(3) परिवहन प्राधिकरण आवेदन पर विचार करने के बाद, विधि के प्रावधानों के अनुसार, उस पर एक उचित आदेश पारित करेगा और सूचित करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. नियम, 1994 के नियम 74 के उप–नियम (3) के सामान्य वाचन से पता चलता है कि परमिट देने के आदेश को संप्रेषित करना प्राधिकरण का कर्तव्य है। इस न्यायालय के समक्ष यह बहुत अधिक विवाद में नहीं है कि परमिट देने के बारे में प्रत्यर्थियों को सूचित नहीं किया गया था। मार्च 2020 के महीने में, पहली बार, उत्तरदाताओं को पता चला कि परमिट देने का आदेश उनके पक्ष में पारित किया गया है और उसके बाद, उन्होंने परमिट जारी करने के लिए आवेदन किया।

7. यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है, जो विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में दर्ज किया गया है, कि सर्वोच्च न्यायालय ने 10–01–2022 को विविध आवेदन संख्या 21 वर्ष 2022 में और अन्य संबंधित आवेदन पर स्वतः संज्ञान रिट याचिका सहित, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण न्यायिक और अर्ध–न्यायिक कार्यों के संबंध में परिसीमा की अवधि बढ़ा दी, जिसकी शुरुआत 25.3.2020 से प्रभावी हुई थी। ऐसी अवधि से निकासी के बाद, उत्तरदाता–परिवहनकर्ताओं ने 17.12.2020 को परमिट जारी करने के लिए आवेदन किया तथा

सितंबर 2021 के महीने में अनुस्मारक दिया। आखिरकार, चूंकि कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए एस. टी. ए. टी. के समक्ष एक अपील दायर की गई, जिसका निर्णय दिनांक 29.1.2022 के आदेश द्वारा किया गया, जिसके तहत एस. टी. ए. टी. ने उक्त आदेश की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर परमिट जारी करने का निर्देश दिया और अनुपालन रिपोर्ट एस. टी. ए. टी. के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया गया। एस. टी. ए. टी. के उक्त आदेश को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सभी तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, यद्यपि एस. टी. ए. टी. के आदेश के पैरा 11 और 12 को हटा दिया गया, जिसमें संबंधित अधिकारियों पर परिव्यय लगाया गया था। यद्यपि परमिट जारी करने के अनुपालन के संबंध में एसटीएटी द्वारा पारित आदेश के दूसरे हिस्से को यथावत् रखा गया था। इसमें अपीलें राज्य द्वारा की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. राज्य/अपीलार्थियों के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निवेदित किया कि एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश इस कारण से अमान्य होगा कि परमिट देने से इंकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। अधिनियम, 1988 की धारा 89 (1) केवल परमिट से इनकार करने के मामले में एस. टी. ए. टी. को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देती है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर परिसीमा को वर्तमान मामले में नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह केवल न्यायिक और अर्ध–न्यायिक कार्यों तक ही सीमित था। इसलिए, अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

9. इसके विपरीत, संबंधित उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया कि कृत्यों की श्रृंखला से पता चलता है कि परमिट जारी न करने में जानबूझकर चूक की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदित किया कि अधिनियम, 1988 की धारा 89 हालांकि परमिट को रद्द करने पर अपील के बारे में बात करती है, लेकिन उत्तरदाताओं का मामला यह होगा कि नियमित परमिट देने के बावजूद, परमिट कागजों पर जारी नहीं किया गया था, इसलिए यह 'इंकार' के बराबर होगा और इसके परिणामस्वरूप, राज्य को लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश न्यायोचित है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, रिट कोर्ट के दस्तावेजों और एस.टी.ए.टी. द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया है।

11. नियम, 1994 के नियम 74 (4) में संबंधित प्राधिकरण के अधिकारियों को 60 दिनों की अवधि के भीतर स्टेज कैरिज परमिट देने के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेने का कर्तव्य दिया गया है। तथ्य बताते हैं कि शुरुआत में सितंबर 2017 के महीने में, ट्रांसपोर्टरों द्वारा परमिट देने के लिए एक आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन पर 60 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया गया था और इस तरह, शुरू में, प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश पारित किया। इस पर आर. टी. ए. द्वारा 19.12.2019 को पूर्ववर्ती आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा परमिट दिया गया था, यद्यपि सूचित नहीं किया गया था, जो कि नियम, 1994 के नियम 74 के उप–नियम (3) के विरुद्ध था, जो आदेश को संप्रेषित करने के लिए आर. टी. ए. पर

कर्तव्य अधिरोपित करता है।यह भी स्पष्ट है कि हालांकि आदेश पारित और स्थगित किए जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जनता या इच्छुक व्यक्तियों से आदेश के बारे में जानकारी होने की उम्मीद नहीं की जाती है। जब किसी कार्य को एक निश्चित तरीके से करने के लिए किसी प्राधिकार पर वैधानिक कर्तव्य अधिरोपित किए जाते हैं, तो उसे केवल उस तरह से ही किया जाना चाहिए। आर. टी. ए. द्वारा दिनांकित 19.12.2019 के पारित आदेश को सूचित नहीं करने के बाद, कुछ समय के बाद इस तरह के आदेश को स्वमेव रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है। विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कि 30 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद आदेश अपनी प्रभावशीलता खो देगा, गलत है। हम इस तरह की दलीलों से सहमत होने से इनकार करते हैं क्योंकि राज्य प्राधिकार को उनकी अपनी गलती का लाभ नहीं दिया जा सकता है और यदि इस तरह के प्रस्ताव का पालन किया जाता है तो यह न्याय का उपहास होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. तथ्यों से पता चलता है कि मार्च 2020 के महीने में, उत्तरदाताओं को ऐसे आदेश के बारे में पता चला, जिसके तहत परमिट दिया गया था, तथापि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 25.3.2020 से शुरू हुआ, जो विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में भी परिलक्षित होता है। हम इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 के विविध आवेदन संख्या 21 में न्यायिक और अर्ध–न्यायिक कार्रवाइयों की परिसीमा बढ़ा दी है, जिसमें स्वाभाविक रूप से मामले के वर्तमान तथ्य शामिल होंगे, क्योंकि परमिट प्रदत्त करना अर्ध–न्यायिक कार्रवाई के दायरे में होगा, इसलिए, लॉकडाउन के दौरान व्यतीत समय उत्तरदाताओं के खिलाफ नहीं चल सकता है। यह हमें यह मानने के लिए प्रेरित करेगा कि भौतिक परमिट जारी करने के लिए दिसंबर 2020 के महीने में उत्तरदाताओं द्वारा बाद में दायर किया गया आवेदन कानूनी क्षेत्र और दायरे के भीतर

होगा। एस. टी. ए. टी. के आदेश से यह पता चलता है कि इसका अनुस्मारक भी सितंबर 2020 के महीने में दिया गया था, लेकिन यह निष्क्रिय रहा।

13. इन परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं ने एस. टी. ए. टी. से संपर्क किया, जो अपीलीय प्राधिकरण है। राज्य का यह तर्क कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिसके द्वारा परमिट से इन्कार कर दिया गया हो, उनके पक्ष में इस कारण से प्रभाव नहीं डाल सकता है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यदि भौतिक परमिट पत्रों पर देने के बावजूद जारी नहीं की जाती है, जो एक आर. टी. ए. कार्यालय में फाइलों के ढेर के नीचे रखे जाते हैं, तो यह 'इन्कार' के बराबर होगा। भौतिक परमिट प्रदत्त किया जाना भौतिक रूप से परमिट जारी करने में परिवर्तित होने पर प्रतिवादी–ट्रांसपोर्टरों को वाहन चलाने की अनुमति मिलेगी और यदि यह आधिकारिक फाइलों में खो जाता है या सूचित नहीं किया जाता है, तो प्रभाव इन्कार के समान ही होगा। विद्वान एकल पीठ और एस. टी. ए. टी. के आदेश, जब दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह पता चलता है कि बिना किसी तुकबंदी या कारण के, परमिट देने का लाभ रोक दिया गया था और प्राधिकरण ने यहां उत्तरदाताओं के अलावा अन्य ट्रांसपोर्टरों को सीमित परमिट जारी करने का फैसला किया, जो कार्यों के बारे में बड़े पैमाने पर बात करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम एस.टी.ए.टी. द्वारा दिए गए आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं, जिसकी पुष्टि एकल न्यायाधीश द्वारा की गई है, 7 दिनों की अवधि के भीतर भौतिक परमिट जारी करने के लिए।

15. नतीजतन, योग्यता के बिना सभी अपीलें खारिजी योग्य है और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती हैं।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

16. यह निर्देश दिया जाता है कि संबंधित प्राधिकरण के अधिकारी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर उत्तरदाताओं को भौतिक परमिट जारी करेंगे। इसके अभाव में, आदेश की एक प्रति उनकी सेवा पुस्तिकाओं में रखी जाएगी, जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विचार का विषय होगी।

सही/– **सही/–**

(गौतम भादुड़ी) **(दीपक कुमार तिवारी)**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**